

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग


कार्यालय आदेश

कां०आ०सं०:-2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 18 /पटना, दिनांक :- 28-4-2020

श्री सतीश कुमार सिंह, तदेन कनीय अभियंता के विरुद्ध कार्य प्रमंडल-2, बक्सर अन्तर्गत चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मत कार्य, राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य एवं चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य में अनियमितता के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 1133 अनु० दिनांक 05.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

2. इस बीच श्री सिंह का मृत्यु दिनांक 12.07.2019 को हो जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध प्रश्नगत मामले को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।


अतः उक्त के आलोक में स्व० सतीश कुमार सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर के विरुद्ध प्रश्नगत मामले को समाप्त करते हुए आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।



(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 872 /पटना, दिनांक :- 28-4-2020


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-4-125/2015(खण्ड) 872 /पटना, दिनांक :- 28.4.2020

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/स्व० सतीश कुमार सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर। पत्राचार का पता:-ग्राम-नया टोला, सरिस्ताबाद, आजाद पथ, ए0/14, पोस्ट-जी0पी0ओ0, पटना, थाना-गर्दनीबाग, पिन कोड-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख